

8/2022

तारीख फैसला

13.08.2022

उनवान

- 1- सीताराम उर्फ छीताराम आत्मज गोपाल जी जाति मीना निवासी रामनगर तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

- 1- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से – तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-


संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती भूमि के कब्जे काशत व खाते की खसरा नम्बर 760 की 3.22 हे0 भूमि वाके ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 संलग्न है।


यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सीताराम के स्थान पर छीताराम दर्ज किया हुआ है। जबकि वादी का नाम सीताराम है। तथा वादी का नाम निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड में भी सीताराम अंकित है इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में छीताराम अंकित होने के कारण वादी को अपने खाते व हिस्से की भूमि पर ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती भूमि के कब्जे काशत व खाते की खसरा नम्बर 760 की 3.22 हे0 भूमि में वादी का नाम छीताराम आत्मज गोपाल के स्थान पर सीताराम आत्मज गोपाल दर्ज किये जाने और राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार छीताराम पुत्र गोपाल व सीताराम पुत्र गोपाल एक ही

8/22
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा


राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा


राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा



व्यक्ति होना प्रकट किया है। तहसीलदार दीगोद की ओर से अभिशंका की है कि वादी का नाम छीताराम आत्मज गोपाल के स्थान पर सीताराम आत्मज गोपाल दर्ज किये जाने में कोई बाधा नहीं है।


वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।


अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामिलती भूमि के कब्जे काश्त व खाते की खसरा नम्बर 780 की 3.22 हे० भूमि में वादी का नाम छीताराम आत्मज गोपाल के स्थान पर सीताराम आत्मज गोपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत केंद्र दीगोद में सुनाया गया।

दिनांक

राजस्व
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा


राजस्व
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा


राजस्व
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

मूल वाद म डिक्री

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केंम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1- सीताराम उर्फ छीताराम आत्मज गोपाल जी जाति भीना निवासी रामनगर तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

वनाम

1- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से - श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से- तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती

मिसल नं 78/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु वहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - : वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती भूमि के कब्जे काश्त व खाते की खसरा नम्बर 760 की 3.22 हे0 भूमि में वादी का नाम छीताराम आत्मज गोपाल के स्थान पर सीताराम आत्मज गोपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13.08.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपयें	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
वकालतनामा					
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
ववत इजराय हुक्मनामा	0	0	ववत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

6056
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा